न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–34/2014 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कमोद पत्नि स्व0 श्री हरिसिंह पुत्रवधू श्योनाथसिंह,
2. मोहनसिंह,
3. राहुलसिंह पुत्रान स्व0 श्री हरिसिंह पौत्र श्योनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. समुन्द्रसिंह,
2. विरेन्द्रसिंह उर्फ सवाईसिंह,
3. मोहनसिंह पुत्रान विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पोडैन्ट्स

4. तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
5. प्रहलादसिंह,
6. किशनसिंह,
7. रामसिंह पुत्रान श्योनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री दिनेश कुमार यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री राकेश यादव अभिभाषक असल रेस्पो0

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.05.2018

यह अपील विद्वान उप जिलाधीश अलवर जिला अलवर कैम्प रामगढ़ के निर्णय दिनांक 11.08.1983 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी तहसीलदार रामगढ़ ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत आराजी ख0 नं0 15 रकबा 9 बिस्वा, 24 रकबा

29.5.18

1 बीघा 3 बिस्वा, 265 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ़ प्रस्तुत किया । जमाबन्दी सम्वत् 2034 के अनुसार उक्त आराजी के संबंध में विपक्षी श्री श्योनाथसिंह के नाम का अंकन बहैसियत बकाश्त शिकमी के किया हुआ है । उक्त जमाबन्दी के इन्द्राजों से आराजी के खातेदार श्री समुन्द्रसिंह द्वारा अपनी आराजी उक्त श्री श्योनाथसिंह के हक में बकाश्त शिकमी के गलत तरीके पर हस्तान्तरित कर दिया जाना प्रतीत होता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के प्रतिकूल है । इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के प्रावधानों के तहत विपक्षीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जावें तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 136 के प्रावधानों के तहत उक्त हस्तान्तरण के संबंधित इन्द्राज अभिलेख से हटाया जावें एवं धारा 63(1) एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी को सिवायचक घोषित किया जावें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 11.8.1983 को प्रार्थना पत्र में आदेश पारित करके कार्यवाही करने हेतु आगामी कार्यवाही / सुनवाई एवं विधिवत् निस्तारण हेतु सहायक कलक्टर अलवर के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जिस निर्णय दि0 11.8.1983 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपील के तथ्यों और तहत न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र 175 आर.टी.एक्ट एवं सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 11.8.1983 का भी अवलोकन किया गया ।

अपीलांट अभिभाषक ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 223 के तहत इस आशय के साथ पेश की है कि तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 11.8.1983 की जानकारी उन्हें दिनांक 5.11.2014 को हुई । जानकारी प्राप्त होने पर अपीलांट के द्वारा यह अपील दि0 11.11.2014 को पेश की गई और दफा 5 मियाद अधिनियम के द्वारा दिनांक 11.8.1983 से 5.11.2014 तक का समय काबिल माफी और मियाद में मुजरा दिया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अभिभाषक ने तहत न्यायालय के निर्णय के संबंध में कहा कि विवादित आराजी ख0 नं0 15, 24, 265 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा जिनके हाल ख0 नं0 296, 300, 386 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ़ में स्थित है, के संबंध में कहना है कि विवादित आराजी पर अपीलांट और तरतीबी रेस्पो0 काबिज काश्तकार है और वर्तमान में हमारा ही कब्जा काश्त है । राजस्व रेकार्ड में हमारे पैतृक श्योनाथसिंह का नाम बहैसियत शिकमी काश्तकार दर्ज किया हुआ है । असल रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 का उक्त आराजी व हम अपीलांट से कोई संबंध व वास्ता नहीं है परन्तु तहत न्यायालय के द्वारा विधिक प्रावधानों और विधिक प्रक्रिया के विपरीत निर्णय पारित किया है ।

25.5.14

इस निर्णय से हम अपीलांट व तर0 रेस्पो0 के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । तहत न्यायालय के द्धारा हमारे बुर्जुगान को सुनवाई और साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया ।

बहस में अभिभाषक अपीलांट का कहना है कि तहत न्यायालय का आदेश प्रारम्भ से ही शून्य आदेश है । अतः ऐसे आदेश के लिए कोई मियाद का प्रावधान मियाद अधिनियम में नहीं है । अपीलांट अभिभाषक ने तहत न्यायालय के आदेश के पैरा सं0 2 को पढ़कर बताते हुए कहा कि जमाबन्दी के इन्द्राजों से आराजी के खातेदार श्री समुन्द्रसिंह वगैरा द्धारा अपनी आराजी को श्री श्योनाथसिंह के हक में बकाश्त के रूप में हस्तान्तरित होना किया जाना बताया । उक्त आराजी के संबंध में तहत न्यायालय में तहसीलदार रामगढ़ के द्धारा प्रार्थना पत्र धारा 175 आर.टी.एक्ट एवं सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश करके विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने का अनुरोध किया । साथ ही बकाश्त शिकमी के इन्द्राजों को संशोधित करवाकर इन्द्राज दुरूस्ती का निवेदन किया । मेरा यह कहना है कि जमाबन्दी में किसी का नाम हटाकर अर्थात शिकमी का नाम हटाकर संशोधित इन्द्राज कानून सम्मत नहीं है ।

बहस में आगे कहा कि धारा 175 के तहत किसी की खातेदारी को समाप्त कर सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है न कि किसी की खातेदारी को संशोधित करके किसी को खातेदार घोषित किया जाता है । जमाबन्दी सम्वत् 2037 का हवाला देते हुए कहा कि उक्त साबिक आराजी में खातेदार के बाद बकाश्त श्योनाथसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत सा0देह शिकमी काश्तकार साल 20 का अंकन हो रहा है । तहसीलदार रामगढ़ के द्धारा प्रार्थना पत्र के जरिये यह संशोधन चाहा कि शिकमी काश्तकार बकाश्त शिकमी का टिनेन्सी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है । इसलिए इन इन्द्राजों को हटाया जावें और विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया था । पुनः कहा कि धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में शिकमी काश्तकार का नाम नहीं हटा सकते । यदि कार्यवाही करते तो सिवायचक दर्ज करने के आदेश देते, न कि खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये । यहां पर शिकमी काश्तकार का नाम हटा दिया और असल रेस्पो0 का नाम यथावत रखा । यह कानून के विरूद्ध है । अतः तहत न्यायालय का आदेश शुरू से ही शून्य एवं कानून के विपरीत होने से अपील के स्तर पर काबिल निरस्ती के है तथा प्रकरण में या तो विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया जावें या पुनः प्रतिप्रेषित किया जाने का निवेदन किया ।

अपीलांट अभिभाषक ने पुनः 175 आर.टी.एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि एस.सी. एस.टी. की जमीन अनाधिकृत रूप से हस्तान्तरित होती वहीं पर यह 175 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र लागू होता है । मैंने मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः मेरी अपील स्वीकार करके तहत न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें और विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया जावें या प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने अभिभाषक अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए कहा कि अपीलांट दो तरह की बहस कर रहे हैं, या तो विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावें या प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावें । रेस्पो0 अभिभाषक ने मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया और उसके आधार पर कहा कि तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 11.8.1983 का अवलोकन करें । दि0 11.8.1983 की आदेशिका का अवलोकन कराया और कहा कि वक्त सुनवाई प्रार्थी तहसीलदार रामगढ़ द्धारा विपक्षी श्री श्योनाथसिंह हाजिर ।

29.5.18

उस समय श्योनाथसिंह मौके पर उपस्थित था । श्योनाथसिंह के हस्ताक्षर है जिनके द्वारा जवाब पेश किया गया । अतः मियाद अधिनियम यह नहीं कहता कि निर्णय के समय मौजूद होने वाले पक्षकार दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत डिले कन्डोन के लिए प्रार्थना करें । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि जवाब पेश किया गया । उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया गया । अपीलांट/प्रतिवादीगण के द्वारा पेश जवाब का हवाला दिया और कहा कि अपीलांट वर्तमान में श्योनाथसिंह के फूट स्टेप पर अपील में आये हैं । अतः इन सभी को निर्णय की पहले जानकारी है । अतः मियाद अधिनियम के तहत उनका प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है । मियाद अधिनियम पर रेस्पो0 अभिभाषक ने कानूनी नजीरों का एवं माननीय राजस्व मण्डल की विभिन्न नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि डिले कन्डोन करने के लिए एक–एक दिन का कारण अवगत कराना होता है । यहां पर अपीलांट व उनके पिता श्योनाथसिंह को विवादित आराजी की पहले से ही जानकारी है । अतः मियाद अधिनियम के बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावें ।

अपील की मैरिट पर बहस करते हुए अभिभाषक रेस्पो0 ने कहा कि जहां तक बकाश्त का प्रश्न है, 10 साल काश्त करने पर खातेदारी हो जायेगी तो अपीलांट को यह बताना चाहिए कि क्या कानूनन टिनेन्सी एक्ट में खातेदारी मिल सकती है । यह भी कहना है कि बकाश्त की कोई हैसियत नहीं होती है । सम्वत् 2014 में उक्त ऐरिया में बन्दोबस्त का काम चल रहा था । वहां जमाबन्दी का विजयसिंह का नाम दर्ज है, बकाश्त नहीं थी । अपीलांट के द्वारा निर्णय पढ़कर गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया और कहा कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार रामगढ़ के द्वारा 175 आर.टी.एक्ट के साथ धारा 136 एल. आर.एक्ट का भी हवाला दिया गया था । निर्णय का ऑपरेटिव पोर्सन पढ़ते हुए रेस्पो0 अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि बकाश्त की कोई हैसियत नहीं है और टिनेन्सी रेकार्ड के प्रावधानुसार इन्हें कोई खातेदारी नहीं मिल सकती है जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बकाश्त के इन्द्राजों की दुरूस्ती का प्रश्न है । धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र मंजूर किया और जो इन्द्राज अभिलेख दुरूस्त किये हैं उनको भी धारा 136 के तहत आदेश पारित करके किया है । आगे कहा कि ऐसी स्थिति में धारा 136 एल.आर.एक्ट के आदेश की अपील इस न्यायालय में नहीं होकर माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में पेश की जानी चाहिए । इस बिनाय पर भी यह अपील काबिले खारिजी के है । तहत न्यायालय के आदेश के बारे में कहा कि यह तहत न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं है, कानून सम्मत है । अपीलांट की उपस्थिति में ही तहत न्यायालय ने आदेश किया है । अतः बकाश्त के आधार पर अपील में खातेदारी अधिकार के लिए अपीलांट आये हैं तो इन्हें किसी प्रकार का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अतः 136 एल.आर.एक्ट में निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार का न होकर माननीय सम्भागीय आयुक्त का है । इस बिनाय पर भी अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

जवाबुल जवाब में अपीलांट अभिभाषक का पुनः कथन है कि तहत न्यायालय का निर्णय कैम्प का निर्णय है । श्योनाथसिंह के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं । वादी ने प्रार्थना पत्र में 175 आर.टी.एक्ट के तहत सिवायचक दर्ज करने के आदेश चाहे थे । तहत न्यायालय ने 136 एल.आर.एक्ट की शक्तियों का उपयोग करके आदेश किया है और धारा 175 आर.टी.एक्ट के निर्णय का भी प्रकरण व अपील क्षेत्राधिकार के आधार पर सहायक कलक्टर को स्थानान्तरित

29.5.18

करने के आदेश भी दिये और कहा कि प्रार्थना पत्र को दावा समझते हुए धारा 175 आर.टी. एक्ट की परिभाषा में आता है । इसलिए इनकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में ही होगी । साथ ही यह भी कहा कि क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर अलवर का है तो तहत न्यायालय को किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं करना चाहिए । अतः यह निर्णय कानून सम्मत नहीं है । शुरू से ही नल एण्ड वोईड है । टिनेन्सी एक्ट में शिकमी काश्तकार के अधिकार दिये हैं । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी, तहत न्यायालय की पत्रावली, तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य बिन्दु यह है कि तहत न्यायालय के द्वारा यह आदेश धारा 175 आर.टी.एक्ट के तहत पारित होना अवगत कराया है तथा प्रार्थी तहसीलदार रामगढ़ के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह जमाबन्दी सम्वत् 2037 के इन्द्राज बकाश्त शिकमी श्योनाथसिंह को यह गलत मानते हुए पेश किया गया था कि यह टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार के इन्द्राजों की कोई अहमियत नहीं होती है । अतः इन इन्द्राजों को दुरूस्त किया जावें । अपीलांट ने अपील का दूसरा बिन्दू यह लिया है कि वह मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित डिले कन्डोन किये जाने का निवेदन किया है । उक्त दृष्टि से सर्वप्रथम तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । अवलोकन से यह पाया कि तहसीलदार रामगढ़ के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 175 एवं नोटिस एल.आर.एक्ट की धारा 136 का पेश किया है । प्रतिवादी श्योनाथसिंह के द्वारा अदालत में उपस्थित होकर अपने जवाब के माध्यम से यह चाहा कि वह उक्त आराजी पर वक्त टिनेन्सी एक्ट लागू होने से ही काबिज काश्त है तथा वह टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए अलग से दावा पेश करेंगा । कानूनी कार्यवाही करेगे साथ में ही प्रतिवादी श्योनाथसिंह का यह भी कथन स्वीकारोक्ति थी कि बकाश्त शिकमी के इन्द्राज कलमजन कर दिया जावें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । तहत न्यायालय ने जमाबन्दी सम्वत् 2037 के खाता सं0 104 साबिक ख0 नं0 15, 24 व 295 में अंकित इन्द्राज समुन्द्रसिंह, सवाईसिंह, मोहनसिंह पि0 विजयसिंह राजपूत सा0देह खातेदार। उसके नीचे बकाश्त श्योनाथसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत सा0देह शिकमी काश्तकार साल 20 के अंकन का अवलोकन करते हुए बकाश्त शिकमी श्योनाथसिंह के इन्द्राजों को दुरूस्त कर दिया है । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पारित शक्तियों का उपयोग करते हुए भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां भी धारित होने के कारण आदेश दिया कि आराजी ख0 नं0 15 रकबा 9 बिस्वा, 24 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 265 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बलवण्डका तहसील रामगढ़ के संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2037 के कॉलम नं0 4 में हो रहे इन्द्राज बकाश्त श्योनाथसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत सा0देह शिकमी काश्तकार साल 20 को अभिलेख से हटाया जाकर संशोधित इन्द्राज नामांकित किये जावें । समुन्द्रसिंह, सवाईसिंह, मोहनसिंह पि0 विजयसिंह राजपूत सा0देह खातेदार होगा । इस प्रकार से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए पारित किया है तथा आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण सहायक कलक्र अलवर को

25.5.18

स्थानान्तरित करने के आदेश दिये कि वह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 175 के प्रावधानों के तहत दावा समझते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें ।

इस प्रकार न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित है, वह एल.आर.एक्ट में पारित आदेश है तथा इस अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । इस बिनाय पर गुणावगुण अपील काबिल खारिज के है ।

जहां तक धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दि0 11.8.1983 से 2014 तक की डिले लगभग 30–31 साल की डिले का अपीलांट के द्वारा कोई स्पष्ट कारण अंकित नही किया गया जबकि तहत न्यायालय में अपीलांट के पिता श्योनाथसिंह मुताबिक निर्णय मौजूद थे । अतः विभिन्न कानूनी नजीरों के मध्यनजर डिले प्रार्थना पत्र कन्डोन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम डिले कन्डोन योग्य नहीं पाये जाने एवं तहत न्यायालय का निर्णय दि0 11.8.1983 की अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने और गुणावगुण पर तहत न्यायालय द्वारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत इन्द्राज दुरूस्ती सही होने के कारण यह अपील काबिल खारिज होने से खारिज की जाती है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश अलवर जिला अलवर कैम्प रामगढ़ के निर्णय दिनांक 11.08.1983 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.5.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर